

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक-एफ.17(ई)()ग्राविप/प्रशा.2/धी.एफ.सी./09-10/ 2702

जयपुर, दिनांक: 17.9.13

: आदेश :

मनरेगा योजना में कार्यों के सम्पादन हेतु पंचायती राज विभाग में विभागीय आदेश क्रमांक 2610 दिनांक 31.08.2012, संशोधित आदेश क्रमांक 3815 दिनांक 24.12.2012 एवं 980 दिनांक 25.03.2013 द्वारा विभाग, मुख्यालय/जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों में निम्न नवीन पद सृजित किये गये थे :-

क्र.सं.	पद का नाम	कुल सृजित पद
1.	सहायक कार्यक्रम अधिकारी	249
2.	कनिष्ठ अभियन्ता	2061
3.	समन्वयक (प्रशिक्षण)	54
4.	समन्वयक (आईईसी)	44
5.	समन्वयक (पर्यवेक्षण)	50
6.	अकाउन्ट्स असिस्टेंट	1870
7.	कम्प्यूटर अनुदेशक (पं.रा.)	459
8.	कनिष्ठ लिपिक	21748
9.	सहायक कर्मचारी	498
	योग	27033

विभागीय आदेश क्रमांक 2613 दिनांक 12.09.2013 के अतिक्रमण में उक्त समस्त पदों (27033) को मनरेगा योजना में प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती से चयनित कार्मिकों को मनरेगा में प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही नियमानुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जावे। इन कार्मिकों को वेतन भत्ता का भुगतान प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही मनरेगा योजना के प्रशासनिक व्यय से आयुक्त, नरेगा द्वारा किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
- 4 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 5 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्री मण्डल सचिवालय, राज. जयपुर।
- 6 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
- 7 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
- 8 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
- 9 निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
- 10 वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय)
- 11 समस्त जिला कलेक्टर
- 12 समस्त अधिकारीगण (मुख्यालय)
- 13 समस्त मुख्य / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
- 14 समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति
- 15 ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
- 16 संबंधित संस्थापन लिपिक (मुख्यालय)
- 17 आदेश / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
सयुक्त शासन सचिव (प्रशा.2)